

पत्रांक 15/स 1-09/05-1077

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,  
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

पटना, दिनांक 10/6/2015

विषय:- महिला महाविद्यालय, टिकारी, गया के संबंधन के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-G III A/ 578/14 दिनांक-13.10.2014 के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि महिला महाविद्यालय, टिकारी, गया के संबंधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक-1098 दिनांक-19.04.1986 के द्वारा निर्गत परिनियम एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 21 (2) (d) में अंकित प्रावधानों में विहित तथा निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करता है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में इस महाविद्यालय के संबंधन दिये जाने संबंधी विश्वविद्यालय प्रस्ताव में राज्य सरकार की अस्वीकृति संसूचित की जाती है।

विश्वासभाजन,

10/6/15

(सुनील कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव